<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

दीव की स्वीप टीम ने बुचरवाड़ा ग्राम विस्तार के मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से कराया अवगत

दीव 31 अक्टूबर, 2020 : दीव में 8 नवम्बर को होनेवाले ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के आम चुनाव-2020 के मद्देनजर आज दीव के बुचरवाड़ा ग्रामीण विस्तार में स्वीप की टीम द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान मास्टर ट्रैनरों ने वोटिंग प्रक्रिया से मतदाताओं को अवगत कराया। मतदाताओं को जागरूक करते हुए उन्हें मतदान की बारीकियों के बारे में बताया गया। उन्हें जानकारी देते हुए कहा गया कि 8 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकता है। कोई भी मतदाता अपना मतदान कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है। जिन मतदाताओं के पास मतदान कार्ड नहीं है मगर वो मतदाता सूची में शामिल हैं तो वे चुनाव आयोग द्वारा मान्य किये गये आठ दस्तावेजों को दिखाकर भी अपना मतदान कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में मतदाता कार्ड के अलावा आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, मोटर ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों के साथ-साथ संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को जारी की गई सेवा पहचान-पत्र, बैंक/किसान/डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो लगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र शामिल है ।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सलोनी राय की दिशा-निर्देश में स्वीप टीम द्वारा दीव के ग्रामीण विस्तारों में मतदाताओं को जागृत करने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । ऑडियों के माध्यम से भी ग्रामीण विस्तारों में मतदाताओं को जागृत किया जा रहा है। आज हैंडबिल वितरित करके भी लोगों को मतदान हेतु प्रेरित करने का कार्य किया गया। मतदाताओं को लालच, प्रलोभन से दूर रहते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने को कहा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे 8 नवम्बर को मतदान अवश्य करें और इसके जरिये लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। इस दौरान वे निष्पक्ष मतदान के लिए स्वयं के साथ-साथ औरों को भी प्रेरित करें ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रह जाए।

हस्ता/-

(नोडल अधिकारी/जन-संपर्क अधिकारी)

दीव